

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं
 पीठासीन अधिकारी :::: सतीश कुमार (नायब तहसीलदार)
 मिसल नं. :::: 32 / 2021
 सरकार बनाम रूपचन्द पुत्र बदरूराम, जाति- जोगी,
 निवासी- इस्माईलपुर

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 09.07.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल रूपचन्द पुत्र बदरूराम, जाति-जोगी, निवासी-इस्माईलपुर द्वारा रोही मोजा इस्माईलपुर कि राजकीय भूमि ख.नं. 130 के कुल रकबा 17.55 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.04 है० भूमि पर पक्के मकान व चार दिवारी बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया। जिसमें गै.मु.जोहड़ की भूमि ख.नं. 130 पर उसका कोई अतिक्रमण नहीं है अतिक्रमण ख.नं. 116 में होना बताया है। गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब के संबंध में जांच भूअ.नि.स्वामी सेही से करवाई गई। मुताबिक जांच भूअ.नि. स्वामी सेही, गैर सायल द्वारा किया गया अतिक्रमण ख.नं. 130 में होना बताया गया। रिपोर्ट भूअ.नि.स्वामी सेही से अतिक्रमण की पुष्टी होती है। अतः गैर सायल का जवाब संतोषजनक नहीं माना जा सकता है। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु.जोहड़ है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536 / 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नादी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन / नियमन पर प्रतिबन्ध है। एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाता है। एवं अतिचारी के विरुद्ध बेदखली आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 12रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें। मिसल फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ला दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

र० ले० सं० 4 के एड सं.....०१..... पर
 वर्ष 2021-22 में रुपये.../2/... कायम है।
 राजस्व लेखाकार

(सतीश कुमार)
 नायब तहसीलदार, सूरजगढ़